फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

शकीला बेगम आदि बनाम श्यारे खां आदि

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः– 183/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 2 गाहरा खां उर्फ गोरे खां के नाम से चक 1 डी.बी.एन. (ए) के खाता संख्या 32/30 के पत्थर नं. 35/267(24) में 5.0600 है0 कमाण्ड मय रास्ता भूमि में 1/3 हिस्सा व चक 1 डी.बी.एन. (बी) के पत्थर नम्बर 36/267(15) में 0.623 है0 1/3 हिस्सा व चक 2 डी.बी.एन. के खाता संख्या 14 पत्थर नम्बर 29/276 मु.न. 38 व पत्थर नम्बर 29/277 में दोनों पत्थरों की कुल 3.667 है0 गै.मु. रास्ता नहरी बारानी भूमि व रोही ठूकराना में खसरा नम्बर 203/2 की 12.6500 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड थी व जिस पर मौका पर कब्जा काश्त है। जिसमें से रोही ठूकराना के खसरा नं. 203/2 मिन 3 की 12.650 है0 भूमि व चक 2 डी.बी.एन. की भूमि 3.667 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या 1 श्यारे खां ने धोखे से अप्रार्थी नं. 2 गाहरा उर्फ गारे खां से अपने नाम बैयनामा करवा लिया जो कि तमाम भूमि पैतृक है जो अप्रार्थी नं. 2 गाहरा उर्फ गारे खां के नाम से आई हुई है। अप्रार्थी नं. 2 प्रार्थीगण के पिता है। अप्रार्थी नं. 1 श्यारे खां अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि बैचान करने पर आमदा है। यदि दावा के निर्णय से पूर्व ही जैर प्रकरण पैतृक रकबा को अप्रार्थी ने रहन बैय हस्तान्तरित कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिये दिनांक 07.11.2013 को जारी अस्थाई स्थगन को दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाकर अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को दावा के निर्णय तक रहन, बैय, हस्तान्तरण न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 ने तर्क किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रकबा चक 2 डीबीएन के खाता संख्या 14 में 3.667 है0 व रोही ठूकराना के खसरा नं. 203/2 में 12.650 है0 रकबा अप्रार्थी नं. 2 गाहरा उर्फ गारे खां का स्वःअर्जित रकबा था जो कि राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित होता है एवं उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 श्यारे खां द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद किया गया है एवं मौका पर कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा पैतृत सम्पति बाबत व कब्जा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है व मुस्लिम धर्म में हिन्दू उत्तराधिकारी नियम लागू नही होते है इसलिये प्रार्थना प्रार्थी का झूठे तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2009 (2) पेज 1398 एवं मुस्लिम विधि व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 प्रस्तुत की। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार चक1 डी.बी.एन. (ए) के खाता संख्या 32/30 में 5.0600 है0 कमाण्ड भूमि में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 गाहरा खां उर्फ गारे खां व चक 1 डी.बी.एन. (बी) में कुल 0.623 है0 में भी 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नं.2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व चक 2 डीबीएन मे खाता संख्या 14 में कुल 3.6670 है0 अप्रार्थी नं. 2 गाहरा उर्फ गारे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो कि अब अप्रार्थी संख्या 1 श्यारेखां के नाम दर्ज है एवं रोही ठूकराना के खसरा नं. 203/2 की 12.6500 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः 2 पर

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2019	01 श्यारे खां के नाम दर्ज है व खसरा नं. 84/3 की 6.831 है0 में 1/6 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 गाहरा उर्फ गारे खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा के चक 2 डीबीएन की भूमि 3.667 है0 रकबा व रोही ठूकराना के खसरा नं. 203/2 की 12.6500 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या 2 गाहरा उर्फ गारेखां से अप्रार्थी संख्या 1 श्यारेखां द्वारा खरीदशुदा रकबा है जो कि संलग्न पत्रावली बैयनामा की नकल से स्पष्ट होता है। एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त रकबा अप्रार्थी नं. 2 गाहरा उर्फ गारेखां का स्वःअर्जित रकबा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मुस्लिम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अनुसार मुस्लिम काश्तकार की भूमि मुस्लिम विधि के अनुसार उसके वारिसों को प्राप्त होने के सम्बन्ध में बताया गया है एवं मुस्लिम विधि में स्वःअर्जित एवं पैतृक सम्पति में कोई भेद नही माना गया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 श्यारेखां द्वारा खरीदशुदा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 गाहरा उर्फ गारे खां की स्वःअर्जित भूमि साबित है। इन प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण कोई खण्डन नही कर सके। ऐसी दशा में प्रार्थीगण का वैधानिक टाईटल होना प्रमाणित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.11.2013 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/09/19 (रामावतार कुमावत) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Scanned by CamScanner